

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

अधिसूचना

ज्ञापांक :-2/नि०-04/16 954 (2) /स्वा०, बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र रोग) (मूल कोटि) के पद पर विज्ञापन संख्या-08/2014 के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित निम्नांकित विशेषज्ञ चिकित्सक (मूल कोटि) (नेत्र रोग) के पद पर रू०-9300-34800/- (पी०बी०-2) एवं ग्रेड पे०-5400 के वेतनमान में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ प्रभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख संस्थान में पदस्थापित किया जाता है :-

नेत्र रोग :-

क्र० सं०	अनुक्रमांक	नाम	जन्म तिथि	गृह जिला	कोटि	पदस्थापन हेतु प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7
1	855	डा० मनोज कुमार मिश्रा	03.10.1972	मधुबनी	सामान्य	सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर।
2	858	डा० राकेश कुमार सिंह	15.07.1977	सिवान	सामान्य	अनुमण्डल अस्पताल, महुआ, वैशाली।
3	895	डा० सचिन कुमार	14.06.1978	पटना	सामान्य	सहायक प्राध्यापक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।
4	859	डा० अमित कुमार झा	05.11.1972	दरभंगा	सामान्य	ट्यूटर, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, दरभंगा।
5	829	डा० देव कान्त	01.03.1978	पटना	सामान्य	ट्यूटर, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा।
6	837	डा० संजय कुमार सिंह	15.01.1972	पटना	सामान्य	अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, राजेन्द्र नगर, पटना।
7	914	डा० रीतिका	26.01.1983	पटना	सामान्य	सदर अस्पताल, सीतामढ़ी।
8	807	डा० मोहन कुमार	30.03.1976	दरभंगा	सामान्य	सदर अस्पताल, मधुबनी।
9	813	डा० पम्मी रॉय	30.06.1979	मुजफ्फरपुर	सामान्य	सीनियर रेजिडेन्ट, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।
10	812	डा० सुनिता कुमारी	01.03.1979	नालन्दा	सामान्य	सीनियर रेजिडेन्ट, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
11	827	डा० ममता	03.06.1979	गया	सामान्य	अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, राजेन्द्र नगर, पटना।
12	816	डा० स्मिता आनन्द	18.02.1983	मधेपुरा	सामान्य	अनुमण्डल अस्पताल, नवगछिया, भागलपुर।



13	814	डा० नन्दिनी प्रियदर्शी	22.02.1982	पटना	सामान्य	सीनियर रेजिडेन्ट, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
14	862	डा० गौतम	20.08.1980	बेगूसराय	सामान्य	सदर अस्पताल, गया।
15	910	डा० कुमारी प्रीति	27.10.1986	दरभंगा	सामान्य	सदर अस्पताल, समस्तीपुर।
16	838	डा० ओजस्विता सिंह	05.08.1981	मुजफ्फरपुर	सामान्य	सीनियर रेजिडेन्ट, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
17	826	डा० कुमार विवेक	09.08.1981	गया	सामान्य	अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, राजेन्द्र नगर, पटना।
18	811	डा० निशान्त कुमार	05.10.1980	पटना	सामान्य	अनुमण्डल अस्पताल, डेहरी, रोहतास।
19	893	डा० भवेश चन्द्र साहा	05.02.1977	साहेबगंज, (झारखंड)	सामान्य	सदर अस्पताल, किशनगंज।
20	885	डा० संदीप कुमार	03.12.1977	पटना	सामान्य	अनुमण्डल अस्पताल, सोनपुर, सारण।
21	830	डा० मनोज कुमार सिंह	05.05.1975	रोहतास	सामान्य	सदर अस्पताल, भभुआ, कैमूर।
22	836	डा० नारायण कुमार	06.09.1979	दरभंगा	सामान्य	सदर अस्पताल, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।
23	889	डा० सुनीला कुमारी	05.09.1977	नालन्दा	सामान्य	सदर अस्पताल, शेखपुरा।
24	860	डा० संतोष कुमार	23.09.1979	पटना	सामान्य	सदर अस्पताल, औरंगाबाद।
25	821	डा० विकास कनौजिया	27.02.1982	समस्तीपुर	सामान्य	सदर अस्पताल, सुपौल।
26	831	डा० गोविन्द कुमार मंडल	30.12.1976	बांका	सामान्य	सीनियर रेजिडेन्ट, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महा० एवं अस्पताल, भागलपुर।
27	825	डा० अमित सिंह	07.04.1977	पटना	सामान्य	अनुमण्डल अस्पताल, राजगीर, नालन्दा।
28	845	डा० आशुतोष कुमार आनंद	16.03.1978	पटना	सामान्य	सदर अस्पताल, दरभंगा।
29	874	डा० सुमन	01.11.1974	बेगूसराय	सामान्य	अनुमण्डल अस्पताल, हिलसा, नालन्दा।
30	817	डा० अजीत कुमार	12.12.1979	पूर्वी चम्पारण	सामान्य	सदर अस्पताल, बेतिया, पश्चिम चम्पारण।
31	902	डा० थनीष कुमार	05.10.1983	नवादा	सामान्य	सदर अस्पताल, जमुई।
32	875	डा० जितेन्द्र कुमार	18.01.1979	पटना	एस०सी०	अनुमण्डल अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर।
33	804	डा० विवेक प्रसाद	05.01.1979	पटना	एस०सी०	सीनियर रेजिडेन्ट, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया।
34	848	डा० नवीन प्रभात नीरज	07.02.1981	जहानाबाद	एस०सी०	सदर अस्पताल, अरवल।
35	916	डा० मो० जहीरुद्दीन अंसारी	10.04.1980	सीवान	ई०बी०सी०	एम०जे०के० अस्पताल, बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

954
29/6/16

(Signature)

36	820	डा० मो० हारून रसीद	01.03.1976	गया	ई०बी०सी०	सदर अस्पताल, बक्सर।
37	876	डा० रंजन कुमार	15.10.1975	पटना	ई०बी०सी०	सदर अस्पताल, कटिहार।
38	913	डा० मो० ईमामुल होदा	02.03.1977	दरभंगा	ई०बी०सी०	सदर अस्पताल, बेगूसराय।
39	864	डा० अतुल कुमार आनंद	24.12.1979	लखीसराय	बी०सी०	सदर अस्पताल, भागलपुर।
40	842	डा० आलोक रंजन	15.01.1982	पटना	बी०सी०	सदर अस्पताल, शिवहर।
41	839	डा० राकेश कुमार	25.09.1981	नवादा	बी०सी०	सीनियर रेजिडेंट, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।
42	918	डा० रवि रंजन प्रकाश	12.04.1984	रोहतास	बी०सी०	सदर अस्पताल, मधेपुरा।
43	865	डा० धर्मवीर भारती	16.01.1979	मुंगेर	बी०सी०	सदर अस्पताल, बाँका।

2. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि यदि उनके पूर्व वृत्त एवं चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायेगी तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

3. दो वर्षों के बाद नियमानुसार चिकित्सकों की सेवा सम्पुष्ट की जाएगी। इस अवधि में आकस्मिक अवकाश छोड़कर अन्य अवकाश विभाग द्वारा ही स्वीकृत किया जायगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार उक्त चिकित्सकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-7834(2) दिनांक 22.11.1995 के अनुसार नियुक्त चिकित्सक नियुक्ति (प्रभार ग्रहण की तिथि से) की तिथि से दस वर्षों की सेवा पूरी होने तक अथवा पैतालीस वर्षों की आयु प्राप्त करने तक कम से कम चार वर्षों के लिए (प्रशिक्षण अवधि सहित) प्रतिरक्षा सेवा में अथवा भारत वर्ष की सुरक्षा से संबंधित सेवाओं के लिए उत्तरदायी होंगे।

6. नियुक्त चिकित्सक अपने नाम के सामने आवंटित संस्थान में अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर योगदान करेंगे।

7. लिपिकीय भूल अथवा गलत प्रमाण-पत्र (जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्र) के आधार पर यदि कोई नियुक्ति होती है तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी तथा सरकार को उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।


8. सभी नियुक्त चिकित्सक राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन करेंगे और सभी आहूत प्रशिक्षणों में निश्चित रूप से भाग लेंगे।

9. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों में से यदि कोई बिहार राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित टेन्योर अवधि के लिए संविदा पर कार्यरत हैं तो उन्हें उसी संस्थान में नियुक्त करते हुए टेन्योर अवधि तक के लिए पदस्थापित किया गया है। टेन्योर अवधि समाप्ति के उपरान्त वे स्वास्थ्य विभाग में योगदान देंगे।



954(2)
29/6/16

10. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों में से कतिपय चिकित्सकों को विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट के पद पर तीन वर्षों के लिए पदस्थापित किया गया है। टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरान्त वे स्वास्थ्य विभाग में योगदान देंगे।
11. सभी नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सक अपने वेतन भुगतान हेतु वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को प्रभार प्रतिवेदन की प्रति भेजेंगे।
12. यदि कोई चिकित्सक उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो वे पदस्थापित संस्थान में योगदान देंगे और उसी दिन अध्ययन हेतु विरमित हो जायेंगे। अध्ययन अवधि समाप्ति के उपरान्त वे पदस्थापित स्थान पर पुनः अपना योगदान देंगे।
13. उपरोक्त सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों के सरकारी सेवा (परिवार नियोजन से संबंधित विशेष उपबंध) नियमावली-1977 की कंडिका-2 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन संतान संबंधी विवरण (विवाहित होने की स्थिति में) विहित प्रपत्र में समर्पित करेंगे एवं सम्पत्ति का व्यौरा भी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जा सकता है। साथ ही उन्हें यह भी निदेश दिया जा सकता है कि वे सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-2785 दिनांक 27.12.2005 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
14. जिन चिकित्सकों द्वारा जाँच के समय विभागीय अधिकृत समिति के समक्ष आवासीय प्रमाण-पत्र एवं कोई अन्य प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किया गया हो, उन्हें निदेश दिया जाता है कि नियुक्ति पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर वांछित प्रमाण-पत्र अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को समर्पित कर देंगे।
15. उक्त चिकित्सकों पर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 लागू रहेगा जिसके तहत वे प्राईवेट व्यापार या नियोजन नहीं करेंगे एवं गैर व्यावसायिक भत्ता की माँग नहीं करेंगे।
16. नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी आवंटित संस्थान में नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु सभी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि पदस्थापन के पूर्व वे नियुक्त चिकित्सकों के सभी प्रमाण-पत्रों की गहराई से जाँच कर लेंगे और सभी प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति रख लेंगे। चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों में यदि कोई संदेह हो तो उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को तुरन्त दिया जायेगा।
17. आवंटित संस्थान में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
18. सभी नियुक्त चिकित्सक अपना योगदान एवं प्रभार ग्रहण की सूचना अपने नियंत्री पदाधिकारी यथा संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक/सिविल सर्जन/निदेशक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।


 (शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

- ज्ञापांक :- 2/नि०-04/16 954 (2) पटना, दिनांक :- 2-9/6/16
- प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्राचार्य/सभी अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सभी निदेशक/सभी सिविल सर्जन/सभी उपाधीक्षक/सभी

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

यह अधिसूचना विभागीय वेबसाईट-www.health.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

954 (2)
29/6/16


सरकार के संयुक्त सचिव।